राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.10(6)खान / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर, दिनांक 12 MAY 2021

RDSA MINING LLP,
पाटनी सदन, तेली मोहल्ला,
मदनगंज–किशनगढ, जिला अजमेर।

विषयः– राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार विभाग द्वारा वन भूमि ग्राम केला–मेला, तहसील पीपलखुंट, जिला–प्रतापगढ के डेलिनियेटेड प्लॉट संख्या 02 / 2019 के खनन पट्टा आवंटन हेतु मंशा पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः– निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर का पत्र क्रमांक निदे / प. 2 / प्रताप / डेलि / प्लॉट सं0 02 / 2019 / 2020 / 563 दिनांक 10.12. 2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में राज्य सरकार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या 02 / 2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वास्ते खनिज मार्बल निकट ग्राम केलामेला तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ में खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित शर्तो पर लेटर ऑफ इंटेंट (एल. ओ.आई) जारी करने की मंशा रखती हैः–

1. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2)(ii) के अन्तर्गत नियमानुसार Performance security लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने की तिथि से छः माह में प्रस्तुत करनी होगी।
2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2)(ii) के अन्तर्गत लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि मे आवेदित क्षेत्र की खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा प्रस्तुत करनी होगी।
3. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2)(iii) के अन्तर्गत लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने की तिथि से 18 माह की अवधि मे सक्षम अथॉरिटी से उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु इन्वायरमेण्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त क्षेत्र वन भूमि में आने से वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानो के तहत भारत सरकार से अनारक्षण की पूर्वानुमति प्राप्त कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2)(iii) के तहत लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने की तिथि से 18 माह में प्रस्तुत करनी होगी।
5. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 11(1)(iii) के अनुसार संबधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए पंचायती राज संस्थान के

सक्षम स्तर अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 16(2)(iii) के तहत 18 माह में प्रस्तुत करना होगा।

6. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 13(3) के परन्तुक (ii), (iii) व (iv) के अन्तर्गत उच्चतम बोली रूपये 55,88,500/— का 20 प्रतिशत के बराबर द्वितीय किश्त के रूप में खनन पट्टा की संविदा पंजीयन से पूर्व जमा कराया जायेगा एवं खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारम्भ में 20 प्रतिशत तृतीय किश्त के रूप में तथा खनन पट्टा के तृतीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व शेष 20 प्रतिशत राशि प्रीमियम के रूप में विभाग में जमा कराई जावेगी। उक्त राशि का समायोजन खनन पट्टा के वार्षिक स्थिर भाटक एवं रॉयल्टी में नही होगा। इस आशय की अण्डरटेंकिंग उक्त पत्र प्राप्ति के छः माह की अवधि प्रस्तुत करें।
7. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 तथा इसके समय—समय पर होने वाले संशोधनो पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की पालना की जावेगी। इस आशय की अण्डरटेकिंग पत्र प्राप्ति के छः माह की अवधि में प्रस्तुत करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नीतू बारूपाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खान एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रालियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, खान एंव भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र निदे/प. 2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं0 02/2019/2020/563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 के क्रम में।
4. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव